विहंगावलोकन

प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के लेखा एवं वित्त पर दो अध्याय तथा कुछ चयनित योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा झारखण्ड सरकार के वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा पर आधारित पाँच समीक्षायें, एक लम्बी कंडिका तथा 12 कंडिकाओं से समायुक्त चार अध्याय सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सारांश, लेखापरीक्षा समीक्षाएँ, लम्बी कंडिका तथा मुख्य कंडिकायें इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत की गयी हैं।

I. राज्य सरकार के वित्त पर विहंगावलोकन

- वर्ष 2003-04 के दौरान, 5638 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्तियों में, कर राजस्व का अंशदान 1986 करोड़ रुपये (35 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व 1106 करोड़ रुपये (20 प्रतिशत), संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश 1980 करोड़ रुपये (35 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से अनुदान की राशि 566 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत) थी।

- बिक्री कर, राज्य के स्वयं के कर राजस्व का मुख्य स्रोत था जिसका अंशदान कर राजस्व का 81 प्रतिशत तथा उसके बाद राज्य उत्पाद (पाँच प्रतिशत), वाहनों पर कर (पाँच प्रतिशत) इत्यादि था। कर-भिन्न राजस्व स्रोतों में अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (83 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियाँ (चार प्रतिशत) प्रधान अंशदाता थे।

- 2003-04 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ सरकार के कुल व्यय के 87 प्रतिशत लेखापित हुईं, जो राजस्व व्यय से अधिक थीं, फलस्वरूप 232 करोड़ रुपये के राजस्व का आधिक्य हुआ। पूँजीगत व्यय का अंश 15 प्रतिशत तथा ऋण एवं अग्रिम का दो प्रतिशत था।

- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (5406 करोड़ रुपये), कुल व्यय का 83 प्रतिशत के लिए लेखापित हुआ। वर्ष के दौरान वेतन एवं पेंशन भुगतान (2492 करोड़ रुपये) एवं ब्याज प्राप्तियाँ (1182 करोड़ रुपये) अकेले राज्य के कुल राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत लेखापित हुआ।

- परिसम्पत्तियों से दायित्वों का कम अनुपात 44 प्रतिशत होने का कारण अंशत: इस लिए था कि राज्य ने दायित्व संयुक्त बिहार से उत्तराधिकार में प्राप्त किया जबकि परिसम्पतियों का बँटवारा नहीं हुआ है।

(कंडिका 1.1 से 1.13)

II. आबंटित प्राथमिकताएँ एवं विनियोग

- 2003-04के दौरान कुल सकल व्यय, कुल बजट प्रावधान 9827 करोड़ रुपये के विरूद्ध 7849 करोड़ रुपये था जिसके कारण 20 प्रतिशत की वास्तविक बचत हुई।

- 1978 करोड़ रुपये की समग्र बचत सहायता एवं विनियोग के 48 मामलों में 2915 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत तथा सहायता एवं विनियोग के पाँच मामलों में 937 करोड़ रुपये के आधिक्य का शुद्ध परिणाम था। अधिक व्यय का नियमन भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत आवश्यक है।

- सैंतीस मामलों में सरकार द्वारा प्राप्त 150 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान 1779 करोड़ रुपये की कुल बचत को देखते हुए अनावश्यक साबित हुआ।

- सहायता के 29 मामलों में दो करोड़ रुपये की लगातार बचत थी।

- छत्तीस मामलों में 1902 करोड़ रुपये की राशि प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक की प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित नहीं की गयी। 41 मामलों में 898 करोड़ रुपये (कुल अभ्यर्पण का 88प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अम्यर्पित किया गया।

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में वर्षों से विभागीय आँकड़ों का महालेखाकार की पुस्तकों में दिये गये आँकड़ों से समायोजन नहीं होना दिखाया जा रहा है। 95 नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा 1120 इकाइयों में 4068 करोड़ रुपये व्यय सन्निहित है, वर्ष 2003-04 के दौरान असमाशोधित रहा।

- वर्ष 2003-04 के दौरान आकस्मिकता निधि से 128 करोड़ रुपये की हुई निकासी असमायोजित रही।

(कंडिका 2.1 से 2.7)

III. योजना/परियोजना पर निष्पादन समीक्षा

I. प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षा सेवायें

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति विशेषत: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्रभावकारी स्वास्थ्य संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षा सेवायें प्रदान करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षा सेवायें पर की गयी समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग ने राज्य के निर्माण की तिथि (नवम्वर,

2000) से अबतक कोई स्वास्थ्य नीति नहीं बनायी है और आधारभूत संरचना और मानवशक्ति पूर्व की तरह ही अपर्याप्त थी।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत मानक के अनुसार राज्य में आवश्यक 5548 स्वास्थ्य उप केन्द्रों,1387 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 231 रेफरल अस्पतालों के विरूद्ध क्रमश: 3495,533 और 31 ही थे। इस कमी ने स्वास्थ्य संरक्षा सुविधाओं और परिवार कल्याण कार्यक्रम को बुरी तरह से प्रभावित किया। निधि की विमुक्ति के बावजूद पाँच जिलों में प्रस्तावित निदान केन्द्रों को स्थापित नहीं किया गया था।

- तीन प्रा. स्वा. के. और 22 अ. प्रा. स्वा. के. को अपना भवन नहीं था। पाँच प्रा.स्वा.के. और 31 अति.प्रा.स्वा. के. को सिर्फ अस्थायी विद्युत संबंध थे। 14 प्रा.स्वा. के. और 33 अति.प्रा. स्वा. के. को जेनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 18 प्रा.स्वा.के. और 33 अति.प्रा.स्वा. के. में प्रसव कक्ष नहीं था। जबकि 15 प्रा.स्वा.के.और 32 अति. प्रा.स्वा.के. में शल्य कक्ष नहीं था।

- 10 रे. अ./ अनुमंडलीय अस्पतालों के निर्माण/पुनरूद्धार के काम को वर्ष 2001-02 के दौरान निधि की विमुक्ति (3.20 करोड़ रुपये) के बावजूद पूरा नहीं किया गया और अ. श. चि. - सह मु. चि. प. को हस्तगत नहीं किया गया था।

- राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों की 50 प्रतिशत और पारा चिकित्सा कर्मियों की 12 से 64 प्रतिशत तक कमी थी। नमूना जाँच किये गये क्षेत्रों में फरमासिस्ट और प्रयोगशाला तकनीशियनों की बहुत कमी थी।

- 119 अति.प्रा.स्वा. के. के लिए खरीदे गये 1.07 करोड़ रुपये मूल्य के मशीन और उपकरण पर्याप्त स्थान और आन्तरिक सुविधाओं के अभाव में अधिकांशत: अनुपयोगी पड़े थे।

- बंध्याकरण, अंतरंग गर्भाशय साधन,परंपरागत गर्भ निरोधक और मौखिक गोली प्रयोक्ता की सफलता में कमी क्रमश: 53 प्रतिशत, 79 प्रतिशत, 77 प्रतिशत और 72 प्रतिशत होने से परिवार कल्याण कार्यक्रम का निष्पादन दयनीय था।

  (कंडिका 3.1)

2. झारखण्ड में विश्वविद्यालयों का कार्यकलाप

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (बिहार, भागलपुर एवं राँची विश्वविद्यालय) अधिनियम 1960 एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अंतर्गत राँची, विनोबाभावे हजारीबाग एवं सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका की स्थापना क्रमश: जुलाई 1960, सितम्बर 1992 और जनवरी 1992 में हुई। इन विश्वविद्यालयों में 66 अंगीभूत महाविद्यालय राँ.वि.के अंतर्गत चाईबासा में एक स्नातकोत्तर केन्द्र है। ये विश्वविद्यालय तत्काल झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 द्वारा शासित हैं। विश्वविद्यालयों की समीक्षा से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ :-

- विश्वविद्यालयों ने सरकार को समय से अपना बजट प्रस्तुत नहीं किया और तदर्थ आधार पर निधियों की प्राप्ति को जारी रखा।

- विश्वविद्यालयों ने अपने लेखा हेतु न तो कोई फॉरमेट और न कोई नियम ही विहित किया था तथा अपनी रोकड़ बही एवं अन्य सहायक अभिलेखों के आधार पर लेखा को तैयार किया था जिसमें बहुत सारी कमियाँ थीं।

- अग्रिमों की वसूलियों/समायोजन की निगरानी हेतु किसी प्रकार की उचित प्रणाली के अभाव में विश्वविद्यालयों से अधिकारियों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को दिये गये अग्रिम की भारी राशि वर्षों से लम्बित थी।

- विश्वविद्यालय वर्ष 1998 से 2002 में विहित निम्नतम 180 दिनों का शिक्षण दिवस प्रदान करने में विफल रहा।

- तीन विश्वविद्यालयों की परीक्षा के परिणाम का प्रकाशन 6 से 240 दिनों के मध्य विलम्बित था।

- विश्वविद्यालयों में बिना स्वीकृत पदों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के कई उदाहरण थे और कई महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध एक भी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं थी।

(कंडिका 3.2)

3. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार ने वर्ष 2007 तक राज्य के सभी ग्रामीण आबादी को सर्व मौसम सड़क सम्बद्धता प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2000 में 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' कार्यक्रम चलाया। राज्य में 21036 असम्बद्ध आबादी थी जिसमें से 2000-04 के दौरान 1200 निवासों को ही सम्पर्क प्रदान करने हेतु लिया गया। कार्यक्रम का कार्यान्वयन धीमा था और विभिन्न कमियाँ थीं जैसे सड़कों का अनुचित चयन, क्रियाकलापों की

अनुसूची का पालन नहीं होना, दोषयुक्त प्राक्कलन, सम्बद्धता की अपेक्षा उन्नयन कार्यों के लिए गलत प्राथमिकता तथा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का अभाव।

- 2000-04 के दौरान निर्माण हेतु लक्षित 2747.96 कि.मी. की 499 सड़कों में से, राज्य 1000 से कम जनसंख्या के 105 निवास स्थानों एवं 1000 और अधिक की जनसंख्या के मात्र 138 निवास स्थानों में सम्बद्धता प्रदान करते हुए 131 सड़कें ही पूर्ण कर सका।

- सड़क सम्बद्धता में प्राथमिकता का पालन नहीं हुआ। जिसके परिणामस्वरूप 23.71 करोड़ रुपये की प्राक्कलित राशि से निर्माण हेतु चयनित 19 सड़कें 1000 और अधिक जनसंख्या वाली एक भी आबादी को जोड़ नहीं सकी तथा मार्च 2004 तक इन सड़कों पर 13.18 करोड़ रुपये व्यय हो चुका था।

- कार्यक्रम के मानदण्डों के विपरीत, नयी सम्बद्धता एवं कार्य से अधिक उन्नयन कार्यों को प्राथमिकता दी गयी तथा राज्य में उन्नयन कार्य हेतु प्रदान की गयी राशि कुल आबंटन के 66 प्रतिशत को पार कर गयी।

- ठेकेदारों को समय सीमा बढाने की अनियमित एवं पक्षपातपूर्ण स्वीकृति दी गयी, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 34.43 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड के भुगतान के अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति भी कम हुई।

- मार्च 2004 तक राज्य स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र की स्थापना नहीं हुई थी और पी.आई.यू स्तर पर गुणवत्ता जाँच सुविधाओं के अभाव में ऐसा अनुश्रवण अप्रभावकारी था। राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुश्रवकों द्वारा किये गये निरीक्षणों के अनुसार 109 सड़कों में से 28 बहुत अच्छी से नीचे थीं।

(कंडिका 3.3)

4. बाल श्रमिक (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 का कार्यान्वयन

बाल श्रमिक (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 कार्यान्वयन विभिन्न खतरनाक एवं कार्यविधियों में 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को रोजगार से रोकता है और इसमें इन तरीकों का भी प्रावधान है जिसमें सामान्य कार्यों एवं कार्यविधियों में कार्यरत बाल श्रमिक के कार्य करने की शर्तो का भी नियमन करता है। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एन.सी.एल.पी.) शिक्षा तथा इनके लिए खोले गये विशेष विद्यालयों में प्रशिक्षण के माध्यम से खतरनाक पेशा में कार्यरत बच्चों के पुर्नवास की व्यवस्था करती है।

1999-2004 की अवधि के दौरान अधिनियम के कार्यान्वयन की संवीक्षा से निषेधन एवं नियमन पक्षों में अधिनियम के प्रवर्तित करने में त्रुटियाँ उद्घाटित हुईं। अच्छे लक्ष्य वाला उपगमन नहीं था। बाल श्रमिक को चिन्हित करने हेतु किये गये सर्वेक्षण अविश्वसनीय थे, निरीक्षण अप्रभावकारी थे तथा अनुश्रवण कम और नहीं के बराबर था। सामान्य कार्यों

एवं कार्यविधियों में नियुक्त बच्चों तथा विहित आयुसीमा के नीचे के बच्चों को न्याय संगत बनाने के लिए एन.सी.एल.पी. विद्यालयों में दयनीय अनुपात में निबंधित किये गये।

- बाल श्रमिक को चिन्हित करने हेतु कोई सर्वेक्षण संचालित नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर जिलों में बाल श्रमिक का कोई सुव्यवस्थित और प्रामाणिक सर्वेक्षण संचालित नहीं हुआ था। गैर सरकारी संगठनों (गै.स.सं.) एवं अन्य द्वारा संचालित उत्तरवर्त्ती सर्वेक्षण अधिकतर गलत थे।

- जिला स्तरीय (उपायुक्त), राज्य स्तरीय प्राधिकारों द्वारा एन सी एल पी विद्यालयों का निरीक्षण नहीं हुआ।

- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के विरूद्ध सामान्य रोजगारों से बच्चों की दुर्दमनीय संख्या को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया गया।

- राज्य में छात्रवृत्ति के भुगतान में लगातार विलम्ब, बाल स्वास्थ्य कार्ड का तैयार नहीं किया जाना, दोपहर के भोजन का नहीं दिया जाना इत्यादि देखे गये।

- दो जिलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई और एक जिला में प्रशिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों में बिना शैक्षणिक सामग्री प्रदान किये हुई।

- नमूना जाँच किए गए जिलों में मुख्य धारा में आने योग्य लगभग 33 प्रतिशत बाल श्रमिक मुख्यधारा में नहीं लाये गए।

- गरीबी उपशमन योजनाओं के अंतर्गत मात्र 2655 बाल श्रमिक (नौ प्रतिशत) के माता-पिता लाये गये।

(कंडिका 3.4)

5. दुमका जिला में कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

दुमका जिला में दुमका शहर, जो जिला मुख्यालय है 3716.2 वर्ग क्षेत्र किलोमीटर के क्षेत्र से अच्छादित 10 प्रखण्ड तथा 2944 गाँव समाविष्ट है। 2001 की जनगणना के अनुसार जिला में 11.02 लाख की जनसंख्या थी। पुरूषः महिला का अनुपात 1:0.95 और साक्षरता दर 35.01 प्रतिशत थी। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,दुमका द्वारा किये गये आँकड़ों में 1997-2000 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार1.33 लाख (56 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे था।

2001-04 की अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षा सुविधाएँ गरीबी का उपशमन एवं जिला में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से संबंधित कार्यक्रमों के

क्रियान्वयन की समीक्षा से विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी, सभी श्रेणियों के अस्पतालों की आधारभूत संरचना में कमी और चिकित्सकों, पारा मेडिकल कर्मचारियों की कमी, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाये गये मकानों का अनियमित आबंटन आवश्यक मानव दिवस की संख्या हेतु रोजगार के अवसर देने में विफलता आदि उद्घाटित हुआ।

- जिला के 1432 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में से, 79 विद्यालयों को भवन नहीं थे तथा 685 विद्यालय भवन बुरी तरह से क्षतिग्रत थे। जिला में कई विद्यालय बिना मूल सुविधाओं जैसे पेय जल (99), बिजली (1423), शौचालय (1386), लड़कियों का शौचालय (1405), खेल मैदान (1180) तथा चाहरदीवारी (1083) के थे।

- डी.पी.ई.पी. अवधि मार्च 2002 के अंत में 85 प्रतिशत अवरोधन के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ग I से IV के लड़के लड़कियाँ दोनों का वास्तविक अवरोधन स्तर की प्राप्ति कम हुई और यह 2003-04 में 49 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के मध्य रहा जब इसकी तुलना 2001-02 में इन कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से की गयी।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा छात्रायें मुफ्त पाठ्यपुस्तक लेने से बंचित रहे क्योंकि वितरण 4 से 11 महीने विलम्ब से हुआ।

- 36 अ.प्रा.स्वा. के. और 258 स्वा.उ.के. में से 31 अ.प्रा.स्वा.के. और 125 स्वा.उ.के. को अपना भवन नहीं था।

- रेफरल अस्पताल, जरमुण्डी को शल्य कक्ष, पैथेलोजी जाँच तथा एक्स-रे मशीन की सुविधा नहीं थी और इसलिए मरीजों को निजी सुविधाओं पर निर्भर होना पड़ा था। सदर अस्पताल भी डायगनोस्टिक पैथेलोजीकल सुविधा से वंचित था।

- 2001-04 के दौरान डी.पी.टी., पोलियो, बी. सी.जी. तथा चेचक प्रतिरक्षण की प्राप्ति में कमी थी। इसी अवधि में टीटी की प्राप्ति में कमी 78 एवं 99 प्रतिशत के मध्य थी।

- 2000-01 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2353 मकानों का निर्माण शुरू किया गया था जो मार्च 2004 तक 3.57 करोड़ रुपये के व्यय के बाद भी अपूर्ण रहा। इस प्रकार 2353 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी।

- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत 132594 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 100 मानव दिवस के रोजगार सृजन के बदले 12 से 16 मानव दिवस सृजित किये गये जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन

करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को अधिकतम रोजगार देने की योजना के लक्ष्य को पूरा नहीं करता।

- 2001-04 के दौरान पानी की विश्लेषणात्मक जाँच नहीं करायी गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 14393 नलकूपों और हिजला प्लांट से आपूर्ति किये गये पानी की गुणवत्ता की जाँच नहीं हुई।

(कंडिका 3.5)

IV. लेन - देन की लेखापरीक्षा

छलपूर्ण निकासी/दुर्विनियोग/हानि

- निकासी एवं संवितरण पदाधिकारियों द्वारा प्रयत्नशील नहीं रहने के कारण 25.90 लाख रुपये का अवसूलनीय अग्रिम।

(कंडिका 4.1.1)

अधिक भुगतान/अपव्ययी/निरर्थक व्यय

- पुल के प्रस्तावित स्थान को बदलने के मनमाने निर्णय के फलस्वरूप कार्य का अपसर्जन एवं 1.92 करोड़ रुपये का अपव्ययी व्यय।

(कंडिका 4.2.1)

- बिना तकनीकी स्वीकृति एवं उचित योजना के कार्य आरम्भ करने के कारण साकची कारा और खूंटी उप-कारा के अपसर्जित एवं व्यर्थ बैरकों पर 1.70 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।

(कंडिका 4.2.2)

- जि.शि.अ. पश्चिमी सिंहभूम द्वारा शिक्षकों के उच्चतर वेतनमान की अनधिकृत स्वीकृति के कारण 29.79 लाख रुपये का अधिक भुगतान।

(कंडिका 4.2.3)

सांविदिक दायित्व का उल्लंघन/ठेकेदारों को अनुचित पक्षपात

- अभिकरणों द्वारा कुल 36.84 लाख रुपये के सीमेंट की आपूर्ति नहीं होना तथा अभिकरणों के विरूद्ध बकाये की राशि पर 9.62 लाख रुपये के ब्याज की हानि।

(कंडिका 4.3.1)

परिहार्य/अधिक व्यय

- योजनागत योजनाओं के अंतर्गत मानदण्डों का निर्धारण नहीं होने के कारण 33.77 लाख रुपये का परिहार्य व्यय।

(कंडिका 4.4.1)

निरर्थक निवेश/निरर्थक स्थापना/निधियों का अवरोधन

- महिला स्वास्थ्य निरीक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना पर 40.26 लाख रुपये का निरर्थक व्यय।

(कंडिका 4.5.1)

- हस्तकला संसाधन सह विकास केन्द्र के क्रियाकलापों के अनुश्रवण में विफल होने के परिणामस्वरूप 1.58 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय।

(कंडिका 4.5.2)

- खड़काई नहर प्रमण्डल तथा रूपाकंन प्रमण्डल सं. 3, आदित्यपुर, जमशेदपुर के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते पर 5.70 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय।

(कंडिका 4.5.3)

- बैकन फैक्ट्री के पुनरूद्धार नहीं होने के कारण स्थापना पर 1.56 करोड़ रुपये, अक्रियाशील फ्रोजन सीमेन बैंक होटवार के निष्क्रिय रहने के कारण निरर्थक कर्मचारियों पर 1.25 करोड़ रुपये तथा घास उत्पादन फार्म के निष्क्रिय रहने के कारण निरर्थक कर्मचारियों पर 44.77 लाख रुपये का निरर्थक व्यय।

(कंडिका 4.5.4)

- होटवार के बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा के निर्माण पर 20.42 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय।

(कंडिका 4.5.5)

अन्य बिन्दु

स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु रखी गयी निधि का विकास भवन में निर्माण एवं सौदर्यीकरण के लिए विचलन- 28.10 लाख रुपये।

(कंडिका 4.6.1)

V. गृह (पुलिस) विभाग का आंतरिक नियत्रण तंत्र

आंतरिक नियंत्रण तंत्र किसी संगठन के क्रियाकलापों का अनिवार्य अंग है जो इसके उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रभावकारी ढंग से संचालित करता है। विभागीय नियमावलियों,

संहिताओं और नियमों में वित्तीय तथा सांग्रामिक क्रियाकलापों में विभिन्न आंतरिक नियंत्रण उपायों का निर्माण हुआ है जिसे कड़ाई से पालन करने पर त्रुटियों तथा अनियमितताओं के जोखिम को कम से कम करता है। गृह विभाग पुलिस में आंतरिक नियंत्रण तंत्र के मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि नियमों के अंतर्गत विहित आंतरिक नियंत्रण उपायों को सामान्य तथा उपेक्षित किया गया, व्यय नियंत्रण विद्‌यमान नहीं था तथा पुलिसबल के आधुनिकीकरण हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था। बजट का निर्माण क्षेत्र कार्यालयों से बिना सामग्री प्राप्त किये और पिछले वर्षों के व्यय को बिना ध्यान में दिये किया गया। जिसके परिणामस्वरूप बजट प्राक्कलन कामचलाऊ और आवश्यकता पर आधारित नहीं था।

- 2001-04 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्गत 209.42 करोड़ रुपये की कुल योजनागत निधि में से , 84.72 करोड़ रुपये का व्यय किया गया तथा 124.65 करोड़ रुपये (60 प्रतिशत) बिना किसी अभिलेखित कारणों के अभ्यर्पित किया गया। स्पष्टत: निधि का प्रावधान अधिक था।

- पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ.) पर 2000-04 के दौरान 147.16 करोड़ रुपये के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाणपत्र में झारखण्ड पुलिस आवास निगम (38.63 करोड़ रुपये) कार्यपालक अभियंता वीसीडी (15.16 करोड़ रुपये) ,22 उपायुक्तों (7.97 करोड़ रुपये) को संयुक्त नियंत्रण कक्षों के लिए 70.41 करोड़ रुपये का दिया गया अग्रिम भी सन्निहित था और सिविल डिपोजिट में राशि रखी गयी (8.65 करोड़ रुपये)।

- नमूना जाँच किये गये सात जिलों में, जिला संयुक्त नियंत्रण कक्ष 2.09 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद परिचालित नहीं हो सका, क्योंकि सरकार द्वारा नियंत्रण कक्ष हेतु आवश्यक मानव शक्ति की स्वीकृति नहीं हुई थी।

- एस.एस.पी. राँची के अधीन 182 वाहनों में से 113 वाहनों से संबंधित कार डायरी 2003-04 के दौरान उपयोग कर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी यद्यपि 39.78 लाख रुपये की राशि के ईंधन का विपत्र पहले ही संवितरित कर दिया गया था। राशि के दुर्विनियोग से इनकार नहीं किया जा सकता।

- विभाग के पास कोई आंतरिक लेखापरीक्षा संम्भाग नहीं था। वित्त विभाग, द्वारा भी आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गयी थी।

(कंडिका 5.1)

VI. सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम

- पतरातू थरमल पावर स्टेशन, झारखण्ड राज्य विद्युत् परिषद में जल मापकों की अधिप्राप्ति और बिना प्रतिष्ठापन के रखे जाने से 17.71 लाख रुपये की निधियों का अवरोधन।

(कंडिका 6.2)

- पतरातू थरमल पावर, झारखण्ड राज्य विद्युत परिषद द्वारा 14.50 लाख रुपये खर्च कर विद्यमान सुविधा की मरम्मति में ढिलाई बरतने से 1.93 करोड़ रुपये के विलम्ब शुल्क पर परिहार्य व्यय।

(कंडिका 6.3)